अध्याय XIII

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसयू के विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों में अनुरक्षित लेखाओं तथा अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया का समापन प्रस्तुत करते है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी द्वारा उचित तथा समय पर कार्यवाही की जाएं।

लोकसभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकन पर उनके द्वारा की गई सुधारात्मक/संशोधनात्मक कार्रवाई को दर्शाने वाली टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जुलाई 1985)। ऐसी टिप्पणियों को उन पैराग्राफों/मूल्यांकन के संदर्भ में भी प्रस्तुत करना अपेक्षित था जिनका सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा विस्तृत जांच हेतु चयन नहीं किया गया था। कोपू ने अपनी दूसरी रिपोर्ट (1998-99-बारहवीं लोकसभा) में उक्त निर्देशों को दोहराते हुए निम्नलिखित की सिफारिश की थी:

- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संदर्भ मे की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) की प्रस्तुति को मॉनीटर करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करना;

- विभिन्न मंत्रालयों के तहत अधिकतर पीएसयू के संदर्भ में पैरा वाली रिपोर्ट के संबंध में एटीएन की प्रस्तुति को मॉनीटर करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करना; तथा

- समिति को संसद में प्रस्तुत सीएजी के सभी प्रतिवेदनों के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन संगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की तिथि से छः माह के अन्दर प्रस्तुत करना।

सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते समय कोपू ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (1999-2000-तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्ववर्ती सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को प्रत्येक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यक) में निहित अवलोकनों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई को मॉनीटर करने के लिए स्वयं

डीपीई में एक पृथक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करनी चाहिए। तदनुसार, डीपीई में अगस्त 2000 से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई को मॉनीटर करने के लिए एक मॉनीटरिंग सेल कार्यात्मक है। सीएजी के विभिन्न प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) पर एटीएन की प्रस्तुति हेतु संबंधित मंत्रालयों के अंदर भी एक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना की गई है।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पीएसयू से संबंधित पिछले पांच वर्षों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) में निहित 4 संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा के पैराग्राफों/समीक्षाओं तथा 1 निष्पादन लेखापरीक्षा (2017 की प्रतिवेदन संख्या 16) पर उपचारात्मक/ पुनरीक्षित एटीएन, जैसा विस्तृत रुप से **परिशिष्ट-III** में दिए गए है, लेखापरीक्षा द्वारा जांच के लिए प्राप्त नहीं हुए थे।

वेंकटेश मोहन

(वेंकटेश मोहन)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक: 17 सितंबर 2019

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 18 सितंबर 2019